बिहार सरकार
कृषि विभाग

पत्र संख्या– 09 आई० टी० 08/2018 – 179 /कृ०, पटना, दिनांक 09/03/2019

प्रेषक,

रवीन्द्र नाथ राय,
विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।
द्वारा : **वित्त विभाग, बिहार, पटना।(+)**

(+) अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

विषय– **राज्य योजनान्तर्गत डी०बी०टी० के माध्यम से योजनाओं को ससमय संचालन करने, कार्यालयों के कम्प्युटरीकरण से संबंधित कार्य सम्पादन तथा ई–डैशबोर्ड तैयार करने के लिए 2 कन्सलटेंट (1 प्रोजेक्ट लीड तथा 1 फंक्शनल एनालिस्ट), 4 प्रोग्रामर (3 डॉट नेट प्लेटफॉर्म तथा 1 एन्ड्रॉयड डेवलपर) तथा 1 क्वालिटी एनालिस्ट कुल 7 तकनीकी मानव बल हेतु National Informatics Centre Services Inc. (NICSI) से प्राप्त करने के परियोजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए कुल 1,00,00,000 (एक करोड़) रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन एवं राशि निकासी तथा व्यय करने की स्वीकृति।**

आदेश– स्वीकृत।

महाशय,

राज्य योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में डी०बी०टी० के माध्यम से योजनाओं को ससमय संचालन करने, कार्यालयों के कम्प्युटरीकरण से संबंधित कार्य सम्पादन तथा ई–डैशबोर्ड तैयार करने के लिए 2 कन्सलटेंट (1 प्रोजेक्ट लीड तथा 1 फंक्शनल एनालिस्ट), 4 प्रोग्रामर (3 डॉट नेट प्लेटफॉर्म तथा 1 एन्ड्रॉयड डेवलपर) तथा 1 क्वालिटी एनालिस्ट कुल 7 तकनीकी मानव बल हेतु National Informatics Centre Services Inc. (NICSI) से प्राप्त करने के परियोजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए कुल 1,00,00,000 (एक करोड़) रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. राज्य स्तर पर डी०बी०टी० सेल में तकनीकी मानव बल NICSI से उपलब्ध कराकर परियोजना का कार्यान्वयन किया जायेगा।
3. डी०बी०टी० कोषांग के लिए तकनीकी मानवबल की सेवाएँ वित्त विभाग के संकल्प संख्या 641, दिनांक 19.01.2015 के अनुसार NICSI से प्राप्त की जायेगी तथा योजना का कार्यान्वयन संलग्न अनुसूची–1 के अनुसार कार्यान्वित किया जायेगा।
4. स्वीकृत राशि की निकासी कृषि निदेशक द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी तथा बामेती के पी०एल० खाता संख्या–278 में स्थानन्तरित किया जायेगा, जिसे निदेशक, बामेती द्वारा कृषि निदेशक, बिहार के परामर्शानुसार कार्यान्वयन एजेंसी को राशि उपलब्ध करायी जायेगी।
5. निदेशक, बामेती द्वारा राशि व्यय के पश्चात् विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण–पत्र महालेखाकार, बिहार, पटना/कृषि विभाग को उपलब्ध कराई जायेगी।

E:\Jay\2019\Sanlekh\DBT.doc

6. बजट शीर्ष एवं बजट उपबंध निम्न प्रकार है :–

(राशि लाख रूपये में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	व्यय हेतु कुल स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म उप मुख्य शीर्ष 00 लघु शीर्ष 001–निदेशन तथा प्रशासन उप शीर्ष 0102–कार्यालयों का कम्प्युटरीकरण माँग संख्या 01 विपत्र कोड 01–2401000010102 विषय शीर्ष–1301–कार्यालय व्यय।	1,00,00,000	1,00,00,000
कुल योग	**1,00,00,000**	**1,00,00,000**

7. इस योजना के लिए कृषि निदेशक, बिहार, पटना सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे।
8. योजना कार्यान्वयन में आवश्यकतानुसार प्रशासी विभाग द्वारा यथा आवश्यक संशोधन किया जा सकता है।
9. वित्त विभाग के संकल्प संख्या 3758 (वि०) दिनांक 31.05.2017 में निहित प्रावधान के आलोक में योजना प्रस्ताव में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या 09 आई० टी० 08/2018 के पृष्ठ संख्या 41/टि० पर दिनांक 07.03.2019 को प्राप्त है।
10. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या – 7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
11. राज्यादेश में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सशर्त्त सहमति संचिका संख्या 09 आई० टी० 08/2018 के पृ०सं० 42–43/टि० पर दिनांक 09.03.2019 को प्राप्त है, जिसका डायरी संख्या 70 दिनांक 07.03.2019 है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की उक्त सशर्त्त सहमति के आलोक में राज्यादेश में प्रधान सचिव, कृषि का अनुमोदन उपर्युक्त संचिका के पृष्ठ सं० 44/टि० पर दिनांक 09.08.2019 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

Rabindra 9.3.19

(रवीन्द्र नाथ राय)

विशेष सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – 179 /कृ०, पटना, दिनांक 09/03/2019

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rabindra 9.3.19

विशेष सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 179 /कृ०, पटना, दिनांक 09/03/2019

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rabindra 9.3.19

विशेष सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 179 /कृ०, पटना, दिनांक 09/03/2019

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rabindra 9.3.19

विशेष सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

E:\Jay\2019\Sanlekh\DBT.doc

ज्ञापांक 179 /कृ०, पटना, दिनांक 09/03/2019

प्रतिलिपि : महाप्रबंधक, **NICSI,** बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rdoiydo 9.3.19

विशेष सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 179 /कृ०, पटना, दिनांक 09/03/2019

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/आंतरिक वित्तीय सलाहकार/निदेशक, पी0पी0एम0, (कृषि विभाग)/निदेशक, बामेती/प्रमण्डलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) सभी/उप निदेशक (शष्य), सूचना बिहार, पटना, कृषि विभाग, बिहार, पटना/मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/जिला कृषि पदाधिकरी (सभी)/बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं कृषि निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

Rdoiydo 9.3.19

विशेष सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 179 /कृ०, पटना, दिनांक 09/03/2019

प्रतिलिपि : उप निदेशक (शष्य), सूचना/आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड एवं संबंधित पदाधिकारी एवं कोषागार पदाधिकारियों को ई–मेल से भेजने हेतु प्रेषित।

Rdoiydo 9.3.19

विशेष सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

तकनीकी मानव बल के लिए अनुमानित वित्तीय प्रबंधन–

क्र०	पदनाम	दर (18 प्रतिशत जी०एस०टी० सहित)	कुल
1	कन्सलटेंट (1 प्रोजेक्ट लीड तथा 1 फंक्शनल एनालिस्ट)	340902×2×11 माह	74,99,844
2	प्रोग्रामर (3 डॉट नेट प्लेटफॉर्म तथा 1 एन्ड्रॉयड डेवलपर) तथा 1 क्वालिटी एनालिस्ट	38000×5×13 माह	24,70,000
3	आकस्मिकता		30,156
		कुल	**1,00,00,000**